न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2017 अपील

श्रीमती हाजरी मंसूरी पितास्व0 खाजू पत्नि अलाउदीन मंसूरी निवासी रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा हाल ईटमारिया तहसील शाहपुरा (राज0)	**उनवान बनाम**	1.श्रीमती संदलबाई पत्नि घीसूखां पिनारा 2.श्री मोहम्मद हुसैन पिता घीसूखां पिनारा 3.श्री रज्जाक मोहम्मद पिता घीसूखां पिनारा 4.श्रीमती सायदाबानू पुत्री घीसूखां पिनारा 5.श्रीमती ईदीबानू पुत्री घीसूखां पिनारा 6.श्रीमती जमीला बानू पुत्री घीसूखां पिनारा 7.श्री बाबू पिता अलानूर पिनारा 8.श्री अजीत पिताअलानूर पिनारा 9.श्री नजरू पिता अलानूर पिनारा 10.श्रीमती नानीबाई पत्नि अलानूर पिनारा 11.श्री लादू पिता अब्दुल पिनारा 12.श्री नूरा पिता अब्दुल पिनारा 13.श्री इमामदीन पिता अब्दुल पिनारा 14.श्रीमती घीसी पुत्री अब्दुल पिनारा 15.श्रीमती सुगरी पुत्री अब्दुल पिनारा 16.श्रीमती नानी पुत्री अब्दुल पिनारा 17.श्रीमती जमली पत्नि अब्दुल पिनारा निवासियान रूपाहेली तहसील एवं जिला भीलवाड़ा 18.श्रीमती चन्द्रा पुत्री स्व0 खाजू पिनारा पत्नि पीरू पिनारा निवासी लापिया तहसील बनेड़ा 19.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0)
—— अपीलार्थी		——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार हमीरगढ, बमामले ना0सं0 218 ग्राम रूपाहेली आदेश दिनांक16.12.78

उपस्थित :– श्री के0एल0कुमावत अधि0 अपीलार्थी की ओर से !
रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार हमीरगढ बमामला नामान्तरकरण सं0 218 ग्राम रूपाहेली आदेश दिनांक 16.12.1978 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा में

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जमाल, खाजू, अब्दुल पिता बक्षा मुसलमान(पिनारा) के नामका राजस्व खाता स्थित था जो बन्दोबस्त 2030–49 में दर्ज रेकार्ड था जिसके आराजी नम्बर 2215–2218–2230–2231–2237–2238–2239–2241–2244–2245–2275–2280–2281–2282 –2283–2284–2285 कुल कीता 17 कुल रकबा 26 बीघा 15बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। जिसमें सन् 1978 मेंखाजू के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजीयात में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज कर खाजू को लाऔलाद फौत बताया और उसके आधार पर नायब तहसीलदार हमीरगढ द्वारा नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का व अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हमीरगढ द्वारा स्व0 खाजू के विधिक वारिसों की कोई जांच किये बिना ही उक्त अपीलाधीन नामान्तरण फैसल कर दिया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है इसलिये उक्त नामान्तरण को निरस्त कराये जाने के लिये अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों पर पेश है–

अपीलान्ट के परिवार का सजरा इस प्रकार है– मूल पुरूष बक्षा पिनारा जिसके तीन लड़के जमाल–खाजू व अब्दुल हुए। तीनों फौत हो चुके हैं। जमाल के दो पुत्र घीसू व अल्लानूर हुए जो फौत हो चुके हैं। इनमें घीसू के पत्नि संदलबाई रेस्पोडेन्ट सं0 1, मो0 हुसैन रेस्पोडेन्ट सं0 2, रज्जाक मोहम्मद रेस्पोडेन्ट सं0 3, ईदी बानू रेस्पोडेन्ट सं0 5, सायदा बानू रेस्पोडेन्ट सं04, व जमीला बानू रेस्पोडेन्ट सं0 6 है। अल्लानूर के बाबू रेस्पोडेन्ट सं07, अजीज रेस्पोडेन्ट सं0 8, नजरू रेस्पोडेन्ट सं0 9 व पत्नि नानीबाई रेस्पोडेन्ट सं0 10 है। खाजू की पत्नि जन्नत, पुत्री हाजरी जो अपीलान्ट है तथा चन्द्रा पुत्री रेस्पोडेन्ट सं0 18 है। अब्दुल के लादू , नूरा, इमामदीन पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13 है, रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 17 पुत्रियां घीसी, सुगरी, नानी, जमली है। स्व0 खाजू पिनारा विवाहित होकर लाऔलाद फौत नहीं हुआ था उसकी पत्नि जन्नत उसके जीवन काल में जीवित थी तथा उसके दो पुत्रियां हाजरी व चन्द्रा थी इसलिए खाजू की मृत्यु हो जाने के बाद उसके विधिक वारिसों के नामपर नामान्रण दर्ज किया जाना था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत तौर पर खाजू के विधिक वारिसों की जानकारी किये बिना ही नामान्तरण दर्ज कर दिया जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।हल्का पटवारी द्वारा बिना कोई जानकारी किये ही खाजू का नाम विलोपित कर दिया और खाजू के हिस्से की भूमि का नामान्तरण जमाल व अब्दुल के नाम पर दर्ज कर दिया जो अभी विपक्षी संख्या 1 से लगायत 17 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिससे विपक्षीगण का हिस्सा बढा हुआ दर्ज है और अपीलान्ट व विपक्षी संख्या 18 का नाम दर्ज नहीं हो सका है जिससे अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने के समय अपीलान्ट व उसकी माता जन्नत एवं बहिन चन्द्रा वयस्क थी तथा पटवारी हल्का व ग्राम वासियों को इसकी जानकारी थी किन्तु विपक्षीगण के पूर्वज जमाल व अब्दुल ने पटवारी हल्का से मिलीभगति करके खाजू के वारिसों की जानकारी छुपाते हुए खाजू के हिस्से की भूमि का नामान्रण अपने नाम पर खुलवा लिया जो कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट व विपक्षी संख्या 18 का उपरोक्त वर्णित आराजीयात में 1/3 हिस्से अनुसार नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आवश्यक है। अपीलान्ट ने अभी अपने पैतृक गांव रूपाहेली आकर राजस्व खाते की जानकारी की तो पता चला कि राजस्व खाते में नाम दर्ज नहीं है तो अपीलान्ट द्वारा राजस्व खाते व नामान्तरण की नकलें प्राप्त की जिससे पता चला कि अपीलान्ट के पिता खाजू की मृत्यु हो जाने के बाद उनके कोई भी संतान नहीं बताकर अपीलाधीन नामान्तरण की कार्यवाही करायी गयी थी। जबकि खाजू के विधिक वारिस जीवित थे इस प्रकार विवादित नामान्रण संख्या 218 दिनांक 25.12.2016 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से जानकारी हुई है। इसलिये अपीलान्ट की अपील विवादित नामान्तरण की जानकारी होने से अपीलान्ट की अपील विहित समयावधि में पेश है फिर भी अपीलान्ट की ओर से मियाद की लिहाज से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण संख्या 218 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमाण्ड किया जावे कि स्व0 खाजू पिनारा की विरासत में अपीलान्ट व विपक्षी संख्या 10 का नाम दर्ज करें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23/01/2017 को पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन सम्बन्धी आदेश रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से बावजूद सूचना के स्वयं या उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं आए न ही अपील के खण्डन में कोई लिखित या मौखिक जवाब/रेकार्ड प्रस्तुत किया। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ में ग्राम रूपाहेली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 36 की प्रमाणित फोटो प्रति तथा भामाशाह कार्ड की स्लिप की फोटो प्रति प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय से रेकर्ड उपलब्ध होने पर प्रकरण को बहस हेतु रखा गया। दिनांक 24.07.2017 को वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा–5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र पर विचार किया जाकर मियाद का बिन्दु तय किया जा रहा है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में यह अनुरोध किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.1978 की प्रथम जानकारी दिनांक 25.12.2016 को हुई। तत्पश्चात प्रतिलिपी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 25.12.2016 को विवादित नामान्तरकरण की प्रति उपलब्ध हुई। ततपश्चात् अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। जिससे दिनांक 25.12.2016 से 10.01.2017 का समय क्षमा योग्य है। विपक्षीगण की और से प्रार्थना पत्र के खण्डन मे किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवेदन प्रार्थी दफा–5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अब अपील मेमों के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी का प्रस्तुत अपील मेमों मे यह कथन रहा कि ग्राम रूपाहेली के खसरा नम्बर 2215–2218–2230–2231–2237–2238–2239–2241–2244–2245–2275–2280–2281–2282 –2283–2284–2285 कुल कीता 17 कुल रकबा 26 बीघा 15बिस्वा स्व0 श्री जमाल, खाजू व

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अब्दुल पिता बक्षा मुसलमान(पिनारा) की संयुक्त खातेदारी की थी। जो कि ग्रांम रूपाहेली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 36 में दर्ज रिकॉर्ड होना सिद्ध होता है। परन्तु अपीलान्ट वं रेस्पोडेन्ट संख्या 18 स्व0 खाजू के विधिक वारिस है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है इसके कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं साथ ही अपनी माता जन्नत कब तक जीवित थी उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया । वर्ष 1978 से कब तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 18 अपनी माता के साथ ग्राम रूपाहेली में निवासरत थी। वर्ष 1978 से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक तक भी अपीलान्ट, उसकी माता या रेस्पोडेन्ट संख्या 18 के द्वारा अपने पिता की भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई। क्या अपने पिता की मृत्यु के पश्चात स्व0 खाजू के वारिसान द्वारा कभी उनके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त किया या नहीं इसके सम्बन्ध में भी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। स्व0 खाजू का हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 17 के मध्य दर्ज हो चुका है प्रत्येक का कितना हक व हिस्सा है किससे कितना हिस्सा कमी किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 18 के नाम दर्ज होगा इसके सम्बन्ध में भी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अपील एक फिसकल प्रोसीडिंग है इसके माध्यम से किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट अपील को पूर्णतया सिद्ध कराने में असफल रहीं है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की और से प्रस्तुत अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956, धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार हमीरगढ बमामले नामान्तरकरण संख्या 218 निर्णय दिनांक 16.12.1978 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा